(बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर)

कौशल विकास प्रशिक्षण (2017–18) हेतु क्रियान्वयन अनुदेश

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर अन्तर्गत प्रसार शिक्षा निदेशालय विभिन्न महाविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों में कौशल विकास मिशन के तहत कृषि प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों से ऑन लाईन आवेदन पंजीयन बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर निम्न प्रकार से होगा–

1. इच्छुक एवं योग्य अभ्यार्थी कृषि प्रक्षेत्र के डोमेन स्किल के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु अपना पंजीयन http://www.skillmissionbihar.org पर जाकर स्वयं कर सकते हैं।
2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा उम्मीदवारों का मोबीलाइजेशन कर उनका पंजीयन बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के पोर्टल पर अपने login द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले कोर्स के अनुसार आए अभ्यिर्थियों के आवेदन पत्रों को अपने प्रशिक्षण संस्थान (जो BSDM से अनुमोदित सेन्टर के लिए) द्वारा http://www.skillmissionbihar.org पर जाकर अपने login से पंजीयन किया जाएगा।
4. कृषि प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्सों) के लिए निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के पोर्टल पर निबंधन एवं आवेदन देने की प्रक्रिया आवेदन पत्र का प्रपत्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया प्रशिक्षण के संचालन संबंधी अनुदेश से संबंधित Referance for Proposal (RFP), कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.in एवं बामेती के वेबसाईट www.bameti.org बिहार कृषि विभाग पर उपलब्ध है। जिसे किसी भी समय देखा जा सकता है अथवा कार्यालय अवधि में प्रसार शिक्षा निदेशालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं बामेती, बिहार पटना एवं संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा कृषि विज्ञान केन्द्रों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी/किसान ऑन लाईन पंजीयन कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान/केन्द्र अथवा जिला कृषि कार्यालय/परियोजना निदेशक, आत्मा कार्यालय के कम्प्यूटर सेल में/प्रखण्ड अन्तर्गत ई–किसान भवन/संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में करा सकते हैं।
6. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयनोपरांत प्रशिक्षण संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क दिया जायेगा। योग्य अभ्यर्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा।

7- विशेष जानकारी हेतु अपने जिले के कृषि/उद्यान महाविद्यालयों/वरीय वैज्ञानिक–एव–प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्रों/ प्रसार शिक्षा निदेशालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं कृषि समन्वयक से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।